संख्या-458 / 2017 / 922 / 22-2-2017-17(161) / 2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 16 जून, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लक्ष्मी नारायन पुत्र श्री भारत, निवासी जनपद-हरदोई की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-12857 / प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-07.04.2017 दिनांक 27.04.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 27.04.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी लक्ष्मी नारायन पुत्र श्री भारत, निवासी ग्राम तेजीपुर पट्टी, थाना मल्लावां, जनपद-हरदोई का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 17.01.1979 को 07 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, बांका एवं गडासा से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-279 / 1979 में भा0द0वि0 की धारा-302 / 34 के अन्तर्गत मा0 षष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदोई के आदेश दिनांक 18.04.1980 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.08.2002 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18.01.2017 तक 13 वर्ष 08 माह 29 दिन की अपरिहार एवं 18 वर्ष 03 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। सक्षम स्तर पर यह पाया गया है कि सिद्धदोष बन्दी जघन्य अपराध में सहअभियुक्त है एवं 04 सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। अत: समय पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी लक्ष्मी नारायन (बन्दी संख्या-16266) पुत्र श्री भारत, निवासी-जनपद-हरदोई की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-458 / 2017 / 922 / (1) / 22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in